

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.03.2023

आज दिनांक 05.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर०के० भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 60/2023 धारा 376 / 504 भा०द०वि० के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता नीरज चौधरी पुत्र सुभाष चन्द्र चौधरी निवासी देवापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 05.03.2023 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री कृष्ण मोहन राव, कां० अरविन्द कुमार तिवारी, कां० अजीत कुमार गुप्ता।

बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री राजीव कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 12/2023 धारा 363 / 366 / 120(बी) / 506 भा०द०वि० के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता माजिद अली पुत्र नसीब अली निवासी सिकरी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.02.2023 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 05.03.2023 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री रामप्रवेश यादव, कां० पवन यादव, म०कां० श्रेयांशी यादव

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 07 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 07 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है:-

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 06 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1- बड़कान उर्फ मो० तैय्यब पुत्र स्व० कल्लू उर्फ समद निवासी सिसवा दाखिली थाना दुधारा, 2- संतराम पुत्र स्व० बृजलाल निवासी पकरी अराजी, 3- रामू पुत्र स्व० रामप्रसाद निवासी मेलानखुर्द थाना दुधारा, 4- कलीमुल्लाह उर्फ कलामुल्लाह, 5- इनामुल्लाह पुत्रगण मो० याहिया निवासीगण पैड़ी थाना दुधारा, 6- अकील अहमद पुत्र स्व० जमील अहमद निवासी सिंगारपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- वरिष्ठ उ०नि० थाना दुधारा उ०नि० श्री लालबिहारी निषाद, उ०नि० श्री शैलेन्द्र सिंह, उ०नि० श्री उदयभान मिश्र, हे०कां० कामेश्वर सिंह, हे०कां० मिथिलेश्वर चौधरी, कां० मैनेजर यादव, कां० रितेश कुमार यादव, कां० रविकान्त, कां० देवीप्रसाद यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता परशुराम पुत्र रामसुभग निवासी साखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री हरिकेश भारती मय हमराह ।

बेलहरकला पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस मु०अ०सं० 43 / 2023 धारा 3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 4 / 25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता मो० शफीक पुत्र मसान अली निवासी करनजोत थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष बेलहरकला उ०नि० श्री अमित कुशवाहा, कां० अभिषेक यादव, कां० विनोद कुमार यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा विवाद /मारपीट को कराया गया शान्त व विवाद में घायल 02 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल- पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मिश्रौलिया से इवेन्ट संख्या 09952 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 लोगों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकार मारपीट घायल लोगों को जरिए एम्बुलेंस से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 मोहन प्रजापति, आरक्षी बृजेश यादव, हो0चा0 सोमनाथ यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 वाहनो से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 80 वाहनो से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।